ICSSR Sponsored

ISSN: 2319-9997

Journal of Nehru Gram Bharati University, 2024; Vol. 13 (2):170-176

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन की स्थिति एवं समस्या का अध्ययन

भानु प्रताप सिंह एवं श्रवण कुमार

शिक्षक–शिक्षा विभाग

नेहरू ग्राम भारती मानित् विश्वविद्यालय, कोटवा–जमुनीपुर–दुबावल, प्रयागराज (उ0प्र0)

Received:21.09.2024 *Revised:12.12.2024* *Accepted:23.12.2024*

सारांशः

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च पर 29 जुलाई 2020 से लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को क्रियान्वित करना एवं क्रियान्वयन में समस्या शोध का विषय है। प्रत्येक स्तर पर शिक्षक और छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रावधानों पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है जो कि शोध का विषय है। छात्र, अभिभावक , शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थान में भ्रम की स्थिति व्याप्त है। पूर्व की व्यवस्था एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एकाएक बदलना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रावधानों को पूरी तरह लागू होने में कठिनाइयाँ बहुत है। छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वयन में असहज महसूस कर रहा । शिक्षक राष्ट्रीय प्रावधानों के क्रियान्वयन को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। शिक्षण संस्थान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को लागू करने में कठिनाइयों का अनुभव कर रहा है।

मुख्य शब्द– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, क्रियान्वयन, समस्या, समाधान

प्रस्तावना

देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1968 का मुख्य उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध कराना था। इस नीति में भारतीय भाषाओं के साथ–साथ विदेशी भाषाओं के विकास पर भी जोर दिया गया था और इसमें कहा गया कि 3 भाषा का फार्मूला होना चाहिए। जिसमें माध्यमिक स्तर पर एक छात्र को हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही अपने क्षेत्र की भाषा को जानना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को चाहे वह किसी भी जाति, धर्म व क्षेत्र का हो, शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। शिक्षा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, लड़कियों एवं शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों पर विशेष जोर दिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 का मुख्य केंद्र आधुनिकीकरण रहा। जिसमें बुनियादी शिक्षा एवं आधुनिकीकरण मुहैया कराने पर विशेष बल दिया गया। इस शिक्षा नीति में यह कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के स्कूल छोड़ने पर रोक

लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में उनके लिए विशेष प्रबंध किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 जिसमें वर्ष 1992 में कुछ संशोधन किया गया था वह 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए सक्षम नहीं थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 इक्कीसवीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसका मुख्य उद्देश्य देश के विकास के लिए अनिवार्य विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसरो के प्रमुख पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में इस नीति का प्रारूप तैयार किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा तक पहुंच, गुणवत्ता, समानता एवं उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है। छात्रों को जरूरी कौशल एवं ज्ञान से परिपूर्ण करना एवं विज्ञान, टेक्नोलॉजी, एकेडमी क्षेत्र एवं इंडस्ट्री में कुशल लोगों की कमी को दूर करना तथा देश को ज्ञान आधारित सुपर पावर के रूप में स्थापित करना है।

इस नीति का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय एवं नवाचार की भावना को भी प्रोत्साहित करना है। यह नीति मुख्य रूप से भाषाई बाधाओं को दूर करने एवं दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने पर विशेष बल देती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अवतरण हुआ। सामाजिक आर्थिक और तकनीकी परिस्थितियों से निपटने के लिए बनी इस नीति को देश दुनिया में सराहा गया। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में इसकी सफलता को लेकर संदेह भी व्यक्त किया गया। लंबे समय से हमारी संस्कृति गुरू, शिष्य परम्परा और शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने का काम किया गया । पांचवी सदी में तक्षशिला के विनाश से लेकर 19 वीं सदी में मैकाले द्वारा ज्ञान प्रणाली का विनाश किया गया जो भारतीय विचारों भाषाओं और मूल्यों में हुआ करती थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020–21 वीं सदी की जरूरत और भारत के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर बनायी गयी हे। आर्थिक शोषण के उद्देश्य से थोपी गयी औपनिवेशक शिक्षा व्यवस्था को बदलने का अवसर एनईपी 2020 में प्रदान किया गया हे।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की शुरूआत 1968 में की गई थी। इसके 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 घोषित की गई जिसे मौजूदा समय में लागू किया जा रहा हैं। इससें एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली की कल्पना की गई हैं जिसमें हर सामाजिक और आर्थिक एवं तकनीकी पृष्ठभूमि के सभी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा न्याय संगत ढंग से मिल सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 संयुक्त राष्ट्र के संवहनीय विकास लक्ष्य–4 के अनुरूप है। इस लक्ष्य में सबके लिए समावेशी न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा आजीवन ज्ञानार्जन के अवसरों को बढ़ावा देने की बात कही गई हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भारत के 21वीं सदी की आकांक्षापूर्ण लक्ष्यों के अनुरूप है। इसमें भारत को ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति में तब्दील करने का लक्ष्य रखा गया हैं। लेकिन यह अपने दृष्टिकोण में वैश्विक होने के साथ ही भारत केन्द्रित भी हैं। यह मानवधिकारों संवहनीय विकास और जीवन चरित्र तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को बढावा देने वाले ज्ञान, कौशल, मूल्य और आचरण को स्थापित करती हे। इस तरह इसका प्रयास छात्रों को सही मायने में वैश्विक नागरिक में तब्दील करने का है। साथ ही इसका मकसद छात्रों में विचारों के साथ

ही भावना, बुद्धि और कार्यों में भी भारतीय होने का गौरव स्थापित करना हैं। इस नीति के लक्ष्यों और प्रयोजनों को पूरा करने के लिए 2040 की समय सीमा निर्धारित की गई हैं। इसके पीछे उददेश्य यह हैं, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने वाला बच्चा इसकी प्रक्रियाओं से गुजर कर ही बाहर निकले।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की निम्नलिखित विशेषताएं हैं –

• हर छात्र को विशिष्ट कक्षाओं की पहचान कर उन्हें मान्यता और प्रोत्साहन देना।

• इस लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना कि सभी छात्र तीसरी कक्षा तक बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान हासिल कर लें।

• शिक्षा में लचीलापन ताकि छात्र अपनी प्रतिभाओं और रूचियों के अनुसार जीवन का रास्ता चुन सके ।

• कला और विज्ञान पाठयक्रम में पाठयक्रमोत्तर गतिविधियों तथा व्यावसयिक और औपचारिक शिक्षा के बीच कठोर विभाजन नहीं।

• विज्ञान, सामजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेलों के बीच बहु–विषयक और समग्र शिक्षा।

• स्वतंत्र विद्या और परीक्षाओं के लिए अध्ययन की बजाय विषय की समझ विकसित करने पर जोर।

• नैतिकता तथा मानवीय और संवैधानिक मूल्यों को प्रोत्साहन।

• शिक्षक और ज्ञानार्जन में बहुभाषावाद और भाषा क्षमता को बढ़ावा।

• संचार सहयोग सामाहिक कार्य और नचीलापन जैसे जीवन कौशलों का विकास।

• शिक्षक और ज्ञानार्जन में प्रौद्योगिकी के विस्तृत उपयोग भाषा के अवरोंधों को दूर करने तथा दिव्यांग छात्रों के लिए पहुँच बनाने पर जोर।

• ज्ञानार्जन के केन्द्र में शिक्षक और संकाय।

• शिक्षा भारत और इसकी समृद्धि विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति था। ज्ञान प्रणालियों और परम्पराओं पर आधारित हो जो देश के लिए गौरव का भाव पैदा करे।

क्रियान्वयन की पहल–

इस शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा के पूर्ण कायाकल्प से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ है। इनका क्रियान्वयन जटिल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। हमारे देश में इस प्रकार के सारे विषयों पर जब चर्चा होती है, तब अंत में अधिकतर लोग यह कहते हैं कि सरकार को यह सब क्रियान्वयन करना हैय और जब बातें आगे नहीं बढ़ती है, तब सरकारों पर दोष मढ़ दिया जाता है। हमें ध्यान रखना होगा कि जिस लोकतांत्रिक देश में वहाँ का समाज, विशेष करके बुद्धिजीवी वर्ग, सरकार पर निर्भर हो जाए, वहाँ लोकतंत्र सफल होगा मुश्किल हो जाता है। इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि सरकार का दायित्व नहीं है, लोकतंत्र में समाज और सरकार दोंनों की अपनी–अपनी भूमिका के साथ संयुक्त दायित्व भी है। जिस देश में सरकार और समाज अपने दायित्व का उचित प्रकार से निर्वहन करते हैं, वहाँ लोकतंत्र देश, समाज एवं नागरिकों के लिए आशीर्वाद रूप बनता है।

शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, समुदाय,

विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों–सबकी भूमिका है। केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति बनाने हेतु शिक्षाविदों एवं बुद्धिजीवियों की समिति का गठन करके समाज के सभी प्रकार के वर्गों से सुझाव प्राप्त किए थें। क्रियान्वयन हेतु भी इसी प्रकार प्रयास करने से अधिक अच्छा परिणाम हो सकता है। सुखद बात यह है कि केंद्र सरकार के स्तर पर क्रियान्वयन का कार्य प्रारंभ हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के स्तर पर जो कार्य हुआ है, वह निम्नाकिंत है –

• मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

• उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा 9 समितियों एवं तकनीकी शिक्षा हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ख्।प्ब्ज्, द्वारा 8 समितियाँ गठित कर कार्य किया जा रहा है।

• विद्यालय स्तर का कार्य विद्यालय शिक्षा सचिव के नेतृत्व में किया जा रहा है।

• केंद्र सरकार के शिक्षा संस्थानों को उनके करणीय कार्य हेतु आदेश दे दिया गया है।

• केंद्र सरकार के अधिकतर संस्थानों ने अपने–अपने स्तर पर कार्य प्रारंभ भी कर दिए है।

इस प्रकार अधिकतर राज्य सरकारों ने भी नीति के क्रियान्वयन हेतु टास्कफोर्स का गठन किया है। शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण राज्यों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेष करके विद्यालयीन शिक्षा में नीति का अधिकतर क्रियान्वयन तो राज्य सरकारों द्वारा ही होना है। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। विद्वानों के अनुसार 70 प्रतिशत क्रियान्वयन विश्वविद्यालयों को अपने–अपने स्तर पर ही करना हैं। आनंद की बात है कि अनेक विश्वविद्यालयों ने टास्कफोर्स का गठन किया हैं। इन प्रयासों के बाद भी बहुत कुछ करना शेष है। केंद्र सरकार के संस्थान जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्यिगकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों आदि सभी संस्थानों में क्रियान्वयन समिति का शीघ्रता से गठन कर, मंत्रालय द्वारा प्रत्येक तीन माह पर नियमित बैठकें आयोजित करके समीक्षा के पश्चात् आगे की क्रियान्वयन योजना पर कार्य होना चाहिए।

इसी प्रकार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ख्छब्म्ज्, के द्वारा राष्ट्रीय पाठयचर्या पर अतिशीघ्रता से कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं जिला स्तर पर क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाना चाहिए। जिला स्तर की समितियों में शिक्षाविद्, प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, शैक्षिक संगठन के पदाधिकारी आदि का समावेश होना चाहिए। इन समितियों के द्वारा संगोष्ठियों, ई–संगोष्ठियों आदि का आयोजन करके शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर पर जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक महाविद्यालय में तथा जिला की समिति द्वारा प्रत्येक विद्यालय में समिति का गठन करना चाहिए। इस माध्यम से वहाँ के आचार्यों की सहभागिता से क्रियान्वयन में उनका योगदान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

शैक्षिक संस्थानों की और शिक्षा जगत् के लोगों की शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सबसे अहम भूमिका है। इस हेतु प्रत्येक शैक्षिक संस्थान के प्रमुख को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ के प्रत्येक आचार्य शिक्षा नीति के प्रारूप का गहन अध्ययन

करें। आचार्यों की सहभागिता एवं क्रियान्वयन में उनको आनेवाली व्यावहारिक कठिनाइयों का समय–समय पर समाधान भी करना आवश्यक होगा। आचार्यों एवं वरिष्ठ छात्रों हेतु संगोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए, जिसमें शोध–पत्र भी मँगवाए जा सकते है। नीति के प्रत्यक्ष क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक विषय की क्रमबद्ध योजना बनानी होगीं। उदाहरण के लिए, उच्च शिक्षा के स्तर पर द्विभाषी पाठयक्रम की बात नीति में कही गई हैं। वर्तमान में तो उच्च शिक्षा, विशेष करके व्यावसयिक शिक्षा के स्तर पर पर अपनी भाषा में पुस्तकें ही उपलब्ध नहीं है। तत्काल पुस्तकें तैयार करना कठिन है, परंतु आई.आई.टी में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर मित्र ने सूचित किया कि मैनें हिंदी में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। यह प्रथम सीढ़ी है। आगामी वर्ष की परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका में छात्रों को उनकी मातृभाषा में लिखने की छूट दी जाए। इसके साथ–साथ अपनी भाषा में पुस्तकें लिखने का कार्य भी प्रारंभ किया जाए, तब वर्ष 2022–23 से स्थानीय भाषा में पुस्तकें उपलब्ध हो सकती हैं। इसी प्रकार क्रमबद्ध योजना करने से कार्य कठिन भी नहीं होगा और सुचारू क्रियान्वयन भी सरलता से समयबद्ध रूप से संभव हो पाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 समस्या

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक सामान्य शिक्षा प्रणाली से बिल्कुल भिन्न है। इसमें शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के अतिरिक्त व्यवसाय एवं प्रशासन जैसे तत्वों का समावेश किया गया है। जिसके कारण यह अक्षर ज्ञान से शुरू होकर रोजगार परक शिक्षा तक सीमित हो गई है। अतः व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को बाधित करती है। इससे समाज में विभिन्न प्रकार की कुंठा और वैमनस्य का अंकुरण होता है जो आगे चलकर एक विकराल रूप धारण कर लेता है। इसमें क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता व भेदभाव प्रमुख है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली उपयोगिता के आधार पर भौतिक संसाधनों के चरम सुख की तरफ ले जाती है। जिससे संसाधनों की अधिकता और कमी के आधार पर समाज का विघटन होना शुरू हो जाता है।

समाज को उच्च वर्गीय, मध्यमवर्गीय एवं निम्न वर्गीय श्रेणी में बांटती है। जबकि शिक्षा का लक्ष्य मानव पीढ़ी में विद्यमान गुणों को विकसित करना है एवं उन्हें एक समान करना है, साथ ही शिक्षा का लक्ष्य नैतिक मूल्यों का विकास करना है जो कि आध्यात्मिकता से होता है। आध्यात्मिकता, वर्तमान शिक्षा प्रणाली का अंग नहीं है। मानव जीवन में शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता होती है जिससे शारीरिक, आर्थिक एवं सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकता पूरी हो सके एवं इस आधार पर किसी शिक्षा पद्धति का मूल्यांकन किया जा सकता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में भाषागत समस्या प्रमुख है क्योंकि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। विभिन्न शोधों के अनुसार यह पुष्टि की गई है की मातृभाषा में ही मौलिक चिंतन संभव है। पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जो सर्वांगीण विकास कर सके। अतः शैक्षिक पाठ्यक्रम के निश्चित उद्देश्य होने चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा ने पारंपरिक शिक्षा को किनारे कर दिया है।

शारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। अतः विद्यार्थी बुनियादी समझ एवं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान जैसे विषयों का शामिल होना आवश्यक है जिससे विद्यार्थी

स्वयं से जुड़ी एवं सहपाठियों से जुड़ी समस्याओं को पहचान सके एवं उसका निवारण कर सके। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन पद्धति में सिर्फ विद्यार्थियों का ही मूल्यांकन किया जाता है उन्हें किस प्रकार की शिक्षा मिली, कैसी शिक्षा मिली यह प्रमाणित नहीं होता। जिससे शिक्षा में उत्तरोत्तर सुधार की प्रक्रिया संभव नहीं है। अतः मूल्यांकन प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों के साथ–साथ उनकी शिक्षा का भी मूल्यांकन हो सके। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार दोनों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक स्तर पर एक समानता कायम होना आवश्यक है। अतः स्कूलों का सामाजिक स्तर पर उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग जैसा वर्गीकरण बंद होना चाहिए तथा इसका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से भावनात्मक जुड़ाव एवं आत्मीय संबंध स्थापित होने चाहिए। जिससे चारित्रिक विशेषताएं प्रेम और सौहार्द के साथ मिलकर शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में योगदान दे सकें।

निष्कर्ष–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को निश्चित ही पूरे देश में क्रियान्वित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। शिक्षा नीति की प्रमुख चुनौती यह है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा पर हमारे देश की जीडीपी का लगभग 6ः खर्च किया जाना प्रस्तावित है परंतु यह तथ्य वर्तमान में भी वाद–विवाद के योग्य है कि क्या यह 6ः अंश वास्तव में शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है या किया जाएगा। इससे पूर्व भी दो शिक्षा नीतियों में यह लागू किया गया परंतु वास्तव में धरातल पर आंकड़े ऐसा नहीं दर्शाते हैं। दूसरी इसकी प्रमुख चुनौती यह है कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा आयोजित कर देश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा तथा समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय अलग से अपनी परीक्षा आयोजित नहीं करवा पाएंगे। यह एक अच्छी पहल तो है परंतु इसमें परीक्षा व शिक्षा के अंकों के अतिरिक्त किसी विद्यार्थी की अन्य रूचि जैसे खेल, कला इत्यादि को वरीयता देने की बात कही जाती तो यह कहीं बेहतर विकल्प होता। इसके अलावा शिक्षा के समवर्ती में सूची में शामिल होने के कारण अलग–अलग राज्यों एवं क्षेत्रवार भी भिन्नता से विवाद उत्पन्न होने की आशंका रहेगी।

शिक्षा नीति में कक्षा 5 या कक्षा 8 तक मातृभाषा में ही शिक्षण की बात कही गई है। यह अभी केवल वैकल्पिक है, आवश्यक नहीं है। निजी क्षेत्र के विद्यालयों में कोई बाध्यता ना होने से शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहेगा। केवल सरकारी विद्यालयों में मातृभाषा में आधारभूत शिक्षा प्रदान करने से यह भारत के बालकों को दो वर्गों में विभाजित करेगा। जिससे सामाजिक आर्थिक विषमता पैदा होगी। शिक्षा नीति में स्नातक स्तर पर बहु विषयक तरीके से पढ़ाई एक अच्छा विकल्प है परंतु कुछ महत्वपूर्ण एवं जागरूकता फैलाने वाले आवश्यक विषय जैसे– लैंगिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि दरकिनार कर दिए गए जिसकी वर्तमान में अध्ययन करने की परम आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के लिए अध्यापक प्रशिक्षण भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। गुणवत्तापूर्ण अध्ययन के लिए कुशल शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था कैसी होगी, किस प्रकार होगी, यह नीति इसकी व्याख्या नहीं करती। शिक्षा नीति में

समावेशी शिक्षा की बात कही गई है जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं विशेष पिछड़े वर्ग से संबंधित है उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी परंतु इस नीति में अनारक्षित वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनकी आय बहुत कम है इसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अतः यदि कोई एक वर्ग भी छूट जाता है तो समावेशी शिक्षा का सपना नहीं साकार हो सकता।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अग्रवाल, जे.सी. (2006). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1994 तक हुएं सुधारोंए संशोधनों वह परिवर्तनों सहित, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।

इंडिया सर्वे इन हायर एजुकेशन, (2019). उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

एस0 अरूण कुमार तथा सी0 डॉ0 प्रसीदा (जनवरी 2023). राष्ट्रीय शैक्षिक नीति–2020 एक तुलनात्मक समीक्षा, वा0 22, इश्शू–01

कुमार, द्वीप (2020). ए क्रिटिकल एनालिसिस एंड लिंपस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, रिसर्च पेपर।

कुमार, प्रकाशः 21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति आउटलुक हिंदी, 24 अगस्त 2020।

चौहान, मधुबाला (1993). भारतीय शिक्षा नीति 1986 के निर्माण में विभिन्न राजनीतिक दलों का योगदान शोध पत्रिका।

जागिंडे, कामिनी और एजाज उज्मा (2020). नयी शिक्षा नीति–2020, 21वीं सदी का सम्यक् विजन, शोध पत्र।

जोशी, अंशु (सितंबर 2020). आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद – नई शिक्षा नीति, विवेक हिंदी।

भारत सरकार (2020). नयी शिक्षा नीति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।

भारतीय आधुनिक शिक्षा (2021). त्रैमासिक पत्रिका, यज्ञ, ए.आर.आई. एनसीईआरटी, नई दिल्ली।

शिक्षा नीति–2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

संरचना, कमलदीप कौर, सान्य पुरी, कबीर सिंह कोचर (2021). नेशनल एजुकेशन पॉलिसी–2020ः एक क्रिटीकल रिव्यु, हंस शोध सुधा, वाल्यूम–1, इश्शू–3, 8–14

Disclaimer/Publisher's Note:

The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of JNGBU and/or the editor(s). JNGBU and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.